

## प्रेसनोट दिनांक 13.08.2022

1. दिनांक 12.08.22 को वादी श्री श्यामलाल पासी पुत्र हुबलाल नि० खेमपुर चनयी बहिउद्दीनपुर थाना को०नगर अयोध्या। उम्र 41 वर्ष 7991302007 द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो०सा० यूपी 42 एडब्लू 0284 चोरी कर लेना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 578/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 12.08.22 को वादी श्री सरताज अहमद पुत्र मो० ताहिर अली नि० सरसण्ड थाना कासिमपुर जनपद हरदोई उम्र 42 वर्ष 8800906112 द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० आरजे 10 जेबी 1884 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर अकबरपुर डिपो की बस यूपी 45 टी 5856 को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना जिससे वाहन चालक का गम्भीर रूप से घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 344/22 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 12.08.22 को वादी श्री अभिमन्यु यादव पुत्र स्व० रामदास नि० टिकरीया थाना गुलरिहा गोरखपुर उम्र 34 वर्ष 9919044323 द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के के पिता की गाडी में टक्कर मार देना जिससे पिता की मौके पर मृत्यु हो जाना तथा जोखन यादव का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना तथा मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 345/22 धारा 279, 427, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 12.08.22 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र सियाराम गुप्ता नि० तेलियागढ थाना गोसाईगंज अयोध्या। उम्र 48 वर्ष 9807792853 द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो०सा० वाहन सं० यूपी 42 एयू 8083 पैशन प्रो चोरी कर लेना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 233/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 12.08.22 को वादी उ०नि० श्री मुनिमन रंजन दूबे थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुजीत कुमार उर्फ सावन पुत्र आशाराम प्रजापति नि० भिटौरा थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 234/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 12.08.22 को वादी उ०नि० श्री मुनिमन रंजन दूबे थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राहुल यादव पुत्र अनिरुद्ध यादव नि० मीरापुर थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 235/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 12.08.22 को वादी श्री राकेश कुमार सिंह पुत्र फूलराज सिंह लेखपाल क्षेत्र बरौली बीकापुर अयोध्या। उम्र 33 वर्ष 9452468678 द्वारा सूचना दिया गया कि सद्दाम पुत्र नुलहक नि० सरसवां थाना हैदरगंज अयोध्या। अभि० द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 179/22 धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।